



मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद
STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH
(Statutory Body Constituted under the Advcoates Act, 1961)
High Court Premises, Jabalpur-482007 (M.P)

No.SBC/M.P/Supt./Elec./ 05 /2026

Dated:- 02.03.2026

प्रति,

समस्त अध्यक्ष/सचिव महोदय,
समस्त अधिवक्ता संघ,
मध्यप्रदेश।

विषय:- मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन कार्यक्रम 2026 संबंधी सूचना।
महोदय/महोदया,

मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन कार्यक्रम 2026 की विधिवत अधिसूचना दिनांक 27.02.2026 को जारी की जा चुकी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार गठित हाई पावर इलेक्शन कमिटी के मार्गदर्शन में निर्वाचन की गतिविधि संचालित होगी। इस बार मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद में 30% (तीस) प्रतिशत पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित किये गये हैं जिसमें से 20% (बीस) प्रतिशत निर्वाचन से भरे जाएँगे और शेष 10% (दस) प्रतिशत मनोनीत की जायेगी।

इस निर्वाचन में प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया गया है-

1. नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रु. 5000/- (पाँच हजार मात्र) जमा किये जाने पर ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा। किन्तु दिव्यांग अधिवक्ता के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रु. 500/- (पाँच सौ) रहेगा। दिव्यांग अधिवक्ताओं को नाम निर्देशन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्वाचन शुल्क रुपये 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) जमा करना अनिवार्य है किन्तु दिव्यांग अधिवक्ता के लिए शुल्क रु. 15,000/- (पन्द्रह हजार) जमा करना अनिवार्य है। यह शुल्क वापसी योग्य नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना की छायाप्रति का अवलोकन कर उसे सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें तथा अधिवक्ता संघ के समस्त सदस्यों को सूचित करने की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

न्यायमूर्ति एस. के. पालो (पूर्व न्यायाधीश)
निर्वाचन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद

जस्टिस एस. के. पालो
(पूर्व न्यायाधीश)
निर्वाचन अधिकारी
म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद

संलग्न : निर्वाचन कार्यक्रम 2026 के नोटिफिकेशन की छायाप्रति।

प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण, हाई पावर इलेक्शन कमिटी, मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद।
2. माननीय महाधिवक्ता महोदय, मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ।
3. कार्यालय प्रभारी, इंदौर कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यालय प्रभारी, ग्वालियर कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को सूचनार्थ प्रेषित।
5. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
6. माननीय अध्यक्ष/सचिव महोदय, भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली।